न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।

उपस्थितः विभव चन्द्रा, उ 0 प्र 0 न्यायिक सेवा J.O. Code-U.P. 3748

दण्डवाद सं0-441/2022

कम्प्यूटर संख्या-675/2022

उत्तर प्रदेश राज्य

.....वादी।

बनाम

1. बब्बू उर्फ लड्डन पुत्र छुट्टू
2. फईम पुत्र बब्बन
3. नदीम पुत्र बब्बन
4. तालिब पुत्र बब्बू उर्फ लड्डन, निवासी अटरिया, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद।

.....अभियुक्तगण।

मु0 अ 0 सं0-20/2022
धारा-452,323,504 भा0 दं0 सं0।
थाना-भोजपुर, जिला मुरादाबाद।

निर्णय

1. पुलिस थाना भोजपुर, जनपद मुरादाबाद द्वारा **अभियुक्तगण बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम व तालिब** के विरूद्ध **मुकदमा अपराध संख्या-20/2022, अन्तर्गत धारा-452,323,504 भा0 दं0 सं0** में आरोप पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 17.01.2022 को दिन के करीब 09.00 बजे प्रार्थी के गांव अटरिया थाना भोजपुर का बब्बू उर्फ लड्डन पुत्र छुट्टु और इसके लड़के फईम पुत्र बब्बन, नदीम पुत्र बब्बन, तालिब पुत्र बब्बु उर्फ लड्डन हेकड़ी दिखाकर जबरदस्ती प्रार्थी के खेत में को ट्रैक्टर निकाल रहे थे। प्रार्थी ने इन्हें रोका तो इन्होंने प्रार्थी की बात नहीं मानी और खेत में को ट्रैक्टर निकाल दिया। थोड़ी देर बाद उपरोक्त लोग लाठी-डन्डें लेकर प्रार्थी के घर में आ गये, गन्दी गालियां दी। लाठी डन्डों से प्रार्थी व प्रार्थी के भाई युनुस और प्रार्थी की भाभी सादया परवीन जोकि गर्भवती है को लाठी डन्डों से मारा पीटा।

3. वादी मुकदमा **युसूफ** के उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर **अभियुक्तगण बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम व तालिब** के विरूद्ध **मुकदमा अपराध संख्या-20/2022, अन्तर्गत धारा-452,323,504 भा0 दं0 सं0** प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर दर्ज हुई।

4. विवेचक ने दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया, गवाहों के बयान लिये तथा विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम व तालिब के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-20/2022, अन्तर्गत धारा-452,323,504 भा0 दं0 सं0 में आरोप पत्र प्रेषित किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम व तालिब के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-20/2022, अन्तर्गत धारा-452,323,504 भा0 दं0 सं0 के विचारण हेतु तलब किया गया।

5. अभियुक्तगण न्यायालय हाजिर आयें तथा उन्हें अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां दी गयी। **दिनांक-26.07.2023** को अभियुक्तगण बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम व तालिब के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-20/2022, अन्तर्गत धारा-452,323,504 भा0 दं0 सं0 में **आरोप** विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में **पी0 डब्ल्यू0-01 साजिया, पी0 डब्ल्यू0-02 वादी मुकदमा युसूफ, पी0 डब्ल्यू0-03 युनुस** को परीक्षित कराया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर मौजूद अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने पर अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत **धारा-313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** अंकित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने उपरोक्त बयान में घटना को गलत बताया। अभियुक्तगण ने सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है।

7. दौरान बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्ष्यों से अभियोजन कथानक साबित होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाए। जबकि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया कि अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। तथ्य के समस्त साक्षीगण ने घटना से इंकार किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए। मैंने विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के दौरान बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0 डब्ल्यू0-01 साजिया** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं केवल अपना हस्ताक्षर बना लेती हूं। आज से डेढ़ साल पहले सुबह 9 बजे बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम और तालिब ने घर में घुसकर मुझे और मेरे घर बालो को न तो मारा पीटा था और न ही गन्दी-गन्दी गालियां दी थी।''

9. इस प्रकार अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिये थे। गवाह को 161 सी०आर०पी०सी० के बयान पढ़कर सुनाये गये। गवाह ने इंकार किया। मेरा बयान कैसे लिख लिया मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि सुलह होने के नाते सही बात नहीं बता रही हूं।''

10. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी0 डब्ल्यू0-02 वादी मुकदमा युसूफ** ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''दिनांक 17.01.2022 को सुबह 9 बजे मेरे घर में घुसकर बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम और तालिब ने न तो मारा पीटा था न ही गन्दी-गन्दी गालियां दी थी। तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाह ने पहचान किया, जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। तहरीर मुझे पढ़कर सुनायी नहीं गयी थी।''

11. इस प्रकार अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिये थे। गवाह को 161 सी०आर०पी०सी० के बयान पढ़कर सुनाये गये। गवाह ने इंकार किया कि मेरी सुलह हो गयी है। यह कहना गलत है कि सुलह होने के नाते सही बात न बता रहा हूँ।''

12. अभियोजन पक्ष की ओर से **साक्षी पी0 डब्ल्यू0-03 युनुस** ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि ''मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आज से लगभग 2-1/2 वर्ष पहले बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम और तालिब ने घर में घुसकर न तो मारा पीटा था और न ही गन्दी-गन्दी गालियां दी थी।''

13. इस प्रकार अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''दरोगा जी ने मेरे बयान नहीं लिये थे। गवाह को 161 सी०आर०पी०सी० के बयान पढ़कर सुनाये गये। गवाह ने इंकार किया। बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम और तालिब ने मुझे कभी भी घर में घुसकर मारपीटा था और न ही गन्दी- गन्दी गालियां दी थी। न्यायालय के बाहर मेरा समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्तगण के दबाव में आकर और समझौता होने के कारण सही बात आज न्यायालय में नहीं बता रहा हूं।''

14. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में **पी0 डब्ल्यू0-01 साजिया, पी0 डब्ल्यू0-02 वादी मुकदमा युसूफ, पी0 डब्ल्यू0-03 युनुस** को परीक्षित कराया गया। पी0 डब्ल्यू0-02 युसूफ जो कि वादी मुकदमा है के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रति परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए कथन किया है कि दिनांक 17.01.2022 को सुबह 9 बजे मेरे घर में घुसकर बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम और तालिब ने न तो मारा पीटा था न ही गन्दी-गन्दी गालियां दी थी। उसके द्वारा यह भी कथन किया है कि उसने लोगों के कहने में आकर मुकदमा लिखवा दिया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि तथ्य के साक्षीगण पी0 डब्ल्यू0-01 साजिया एवं पी0 डब्ल्यू0-03 युनुस द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया। अतः अभियोजन साक्षीगण के बयानों के विश्लेषण से अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

15. अभियुक्तगण की ओर से अन्तर्गत **धारा-294 दं0 प्र 0 सं0** अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार की गयी है। चूंकि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षियों के बयान से अभियोजन कथानक की पुष्टि नही होती है। अतः अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता स्वीकार कर लेने मात्र से भी अभियोजन कथानक को साबित नही माना जा सकता है।

16. उपरोक्त विवेचना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम व तालिब के विरूद्ध लगाये गये आरोप युक्ति युक्त **संदेह से परे साबित नहीं होते हैं**। अतः **अभियुक्तगण बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम व तालिब** के विरूद्ध **मुकदमा अपराध संख्या-20/2022, अन्तर्गत धारा-452,323,504 भा0 दं0 सं0** के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

17. **अभियुक्तगण बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम व तालिब** के विरूद्ध **मुकदमा अपराध संख्या-20/2022, अन्तर्गत धारा-452,323,504 भा0 दं0 सं0** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. अभियुक्तगण बब्बू उर्फ लड्डन, फईम, नदीम व तालिब जमानत पर हैं, उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

19. अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए द 0 प्र 0 सं0 के अनुपालन मे दाखिल जमानतनामें अपील अवधि तक मान्य होंगे।

(विभव चन्द्रा)
सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।
जे0 ओ 0 कोड UP3748

दिनांक 01.06.2026

यह निर्णय आज खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर सुनाया गया।

(विभव चन्द्रा)
सिविल जज (जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद।
जे0 ओ 0 कोड UP3748

दिनांक 01.06.2026